न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 452 / 2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

1. भोनीराम पिता मेघा जाति भील आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. नोजी पुत्री मेघा जाति भील आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. चम्पालाल पुत्र रतनलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. रामेश्वर पुत्र रतनलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. गीता पुत्री रतनलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. प्रेमी पुत्री रतनलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

उनवान

1. भैरू पिता डालु जाति भील आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा —वादीगण
अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट —प्रतिवादी सं0 1

—ः वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट ः—

निर्णय दिनांकः 14.10.2025

—ःनिर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि ग्राम सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिसकी जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 160 की आराजी संख्या 3655, 3659, 3660, 3661, 3665, 3666 कुल किता 06 कुल रकबा 1.53 हैक्ट0 स्थित है, जिसमें वादीगण का हक हिस्सा निहित है। यह कि उपरोक्त आराजीयात हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की होकर मौखिक विभाजन आसरे अनुसार कर काश्त करते आ रहे है । विधिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस जैर बहस आराजीयात का विधिकं रूप विभाजन नही करा रखा है। इस कारण लगान जमा कराने, फसल काश्त करने, लोन लेने व फसल लाने—ले जाने, हंकाई करने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाडी व पशुधन लाने—ले जाने, रास्ते को लेकर भी समस्या रहती है तथा भूमि कम ज्यादा होने का विवाद बना रहता है। इस कारण उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयत का विधिक रूप से विभाजन करा वादीगण को वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में निहित हक हिस्से को अलग—अलग खाते दर्ज कराया जाना आवश्यक है तथा लगान बंदी भी अलग दर्ज कराई जाकर स्वतन्त्र खातेदार दर्ज कराया जाना आवश्यक है। इस कारण पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के वादीगण को वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में निहित हक हिस्से की बंटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बंटवाडा आराजीयात की डिक्री इस आशय की फरमाई जावें कि वर्णित वादगत आराजीयात का विधिक विभाजन वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के हक हिस्से अनुसार रास्ते के सुखाधिकार को ध्यान में रखते हुए विभाजन करा तदनुसार लगानवन्दी कायम करा, अलग खातेदार बनाया जावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से पूर्व में दिनांक 03.02.2023 को जवाब बन्द किया गया।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 19.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 14.10.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिसकी जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 160 की आराजी संख्या 3655, 3659, 3660, 3661, 3665, 3666 कुल किता 06 कुल रकबा 1.53 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. भोनीराम पिता मेघा हिस्सा 1/2, नोजी पुत्री मेघा हिस्सा 1/2 जाति भील सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नारेला हिस्सा भोनीराम पर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	3659/1	0.41	चाही 3
योग	कुल किता–01	0.41	

2. भैरू पिता डालू जाति भील सा0 देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	3659/2	0.02	चाही 3
2	3660/1	0.39	चाही 3
योग	कुल किता–02	0.41	

3. चम्पालाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4, रामेश्वर पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4, गीता, प्रेमी पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/2 जाति भील सा0 देह खातेदार रहन PNB शाखा सिंहपुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	3660/1	0.01	चाही 3
2	3661	0.40	चाही 3
योग	कुल किता–02	0.41	

4. भोनीराम पिता मेघा हिस्सा 1/6, नोजी पुत्री मेघा हिस्सा 1/6 जाति भील , भैरू पिता डालू हिस्सा 1/3 जाति भील, चम्पालाल, रामेश्वर पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/6, गीता, प्रेमी पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/6 जाति भील सा0 देह खातेदार
रहन PNB शाखा सिंहपुर हिस्सा भैरू पुत्र डालू, चम्पालाल, रामेश्वर पुत्र रतनलाल, गीता, प्रेमी पुत्री रतनलाल पर,
रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नारेला हिस्सा भोनीराम पर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	3655	0.10	पडत 2
2	3665	0.04	आ0चा0
3	3666	0.16	बारानी 2 0.13 मकान 0.03
योग	कुल किता–03	0.30	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़